संख्याः–जी0आई0:– 1727 /7–1–2008–600(1918)/2007.

118

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग   देहरादून : दिनांक 18 जून, 2008.

विषयः– जनपद–देहरादून में हय्या–अलसी–ककाड़ी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 0.157 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–3321/1जी–2005 (दे0दून) दिनांक 21–05–2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–देहरादून में हय्या–अलसी–ककाड़ी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 0.157 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/202/2007/एफ.सी./870 दिनांक 12–09–2007 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
8. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।

चकराता वन प्रभाग
पंजी संख्या 7756
दिनांक 26-6-08

9. वन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग के व्यय पर प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से इस आशय की बचनबद्धता ली जायेगी कि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो उनके द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी से एकत्रित एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि को तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी **(ad-hoc CAMPA)** को स्थानान्तरित किया जायेगा।
14. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः ए–2–75/दस–77–14(4)/74 दिनांक 3–2–1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः–जी0आई0:– 1727 **/7–1–2008–600(1918)/2007 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, कालसी।

R.N. 7756/11–1 दि0 8-7-08

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
1. अधिशासी अभियन्ता, लो० नि० वि० सहिया, कालसी को उपरोक्त बिन्दुओं एवं शासनादेशों का मार्ग निर्माण में पालन करना सुनिश्चित करें।
2. रेन्ज अधिकारी [illegible] को इस आशय से प्रेषित मार्ग निर्माण में बाधित होने वाले वृक्षों का छपान कर छपान सूची शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें, तथा उक्त शासनादेशों के समस्त शर्तों का पालन करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करें।

आज्ञा से

(हस्ताक्षर)

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

(हस्ताक्षर) प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible]

Scanned by CamScanner